

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल—462016

भोपाल, दिनांक,— 26 जुलाई 2005
अधिसूचना

क्रमांक —1766 /म.प्र.वि.नि.आ./ 2005 — विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 127 सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) की कण्डिका (जेड ओ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, क्रमांक 2385/म.प्र.वि.नि.आ./2004 दिनांक 4 सितम्बर, 2004 द्वारा अधिसूचित “अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, विनियम, 2004” में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन करता है।

अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, विनियम, 2004 में संशोधन

कथित विनियम में :

विनियम के हिन्दी रूपांतरण के अन्त में, शब्द, यथा, “आयोग के आदेशानुसार, अशोक शर्मा, उपसचिव” जोड़े जावें।

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उपसचिव